झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक– 2.त0शि0/गैर योजना–03/2017 (पार्ट–1) /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, भागा/राँची/निरसा/कोडरमा/जगन्नाथपुर/सिमडेगा
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/बोकारो/दुमका
झारखंड।

विषय :– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष–105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय–उप शीर्ष–01– डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित के अधीन उपबंधित राशि में से कुल रू0 42,67,929/– (रू0 बैयालीस लाख सडसठ हजार नौ सौ उनतीस) मात्र आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान वर्ष 2025–26 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन विभागाधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिकों/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों को विभिन्न इकाईयों में संस्थान के सामने अंकित राशि के अनुसार कुल रू0 42,67,929/– (रू0 बैयालीस लाख सडसठ हजार नौ सौ उनतीस) मात्र आवंटन की स्वीकृति ''परिशिष्ट–क'' के अनुसार प्रदान की जाती है।

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक– 338/बजट दिनांक– 28.03.2025 एवं पत्रांक 170 दिनांक 27.02.2026 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।

03. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राजकीय पोलिटेकनिक, भागा/राँची/निरसा/कोडरमा/जगन्नाथपुर/सिमडेगा/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/बोकारो/दुमका के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।

04. राशि के व्यय में जहॉ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।

05. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

06. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेगें, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने में असुविधा नहीं हो।

07. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।

08. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

09. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जायेगा।

10. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/दुमका/कोडरमा/धनबाद/सिमडेगा/चाईबासा से की जायेगी।

11. विषयांकित राशि में से वेतन इकाई की आंशिक राशि वित्त विभाग के पत्रांक 170/बजट दिनांक 27.02.2026 के द्वारा तृतीय अनुपूरक से प्राप्त हुआ है।

12. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।

13. व्यय विवरणी टी0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आँकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेगें तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देगें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2.त0शि0/गैर योजना–03/2017 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार राँची/बोकारो/दुमका/कोडरमा/धनबाद/सिमडेगा/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2.त0शि0/गैर योजना–03/2017 – 257 /राँची, दिनांक– 11/03/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.26

सरकार के प्रधान सचिव